रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052023-245907
CG-DL-E-17052023-245907

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2112] नई दिल्ली, बुधवार, मई 17, 2023/वैशाख 27, 1945
No. 2112] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 17, 2023/VAISAKHA 27, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2023

का.आ. 2205(अ).—केंद्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (1966 का 31), की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में यथा प्रवृत्त, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2018 (पंजाब अधिनियम संख्या 2018 का 18) का निम्नलिखित उपांतरण के अधीन रहते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में विस्तार करती है, अर्थात्:-

उपांतरण

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2018 में, धारा 1 की उप-धारा (1) में, "2018" अंकों के पश्चात, "संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ तक विस्तारित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. यू-11020/4/2020-यूटीएल]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

उपाबंध

पंजाब सरकार

विधिक और विधायी मामलों का विभाग, पंजाब

अधिसूचना

तारीख 18 सितंबर, 2018

सं.19वि./2018.—पंजाब राज्य विधानमंडल के निम्नलिखित अधिनियम को, जिसे 31 अगस्त, 2018 को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, एतदद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2018 (पंजाब अधिनियम संख्या 2018 का 18)।

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 को पंजाब राज्य में लागू करने के लिए और संशोधित करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में पंजाब राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (जिसे इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है), में धारा 3 में, खंड (ङ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

केंद्रीय अधिनियम 2003 का 34 की धारा 3 का संशोधन.—"(ङङ) "हुक्का बार" से एक स्थापना अभिप्रेत है जहां लोग एक सामुदायिक हुक्का या हुक्का से तम्बाकू धूम्रपान करने के लिए एकत्र होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाता है।

3. **केंद्रीय अधिनियम 2003 का 34 में नई धारा 4क का अंतस्थापन.**—मूल अधिनियम में, धारा 4 के पश्चात, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

हुक्का बार का प्रतिषेध.—"4क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से भोजनालय सहित किसी स्थान पर उपभोक्ताओं के लिए किसी हुक्का बार या हुक्का सेवा को नही खोलेगा या चलाएगा ।

स्पष्टीकरण—"भोजनालय" पद से ऐसा स्थान, जहां किसी भी प्रकार का भोजन या अल्पाहार अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत स्प्रिट, वाइन, एल, बियर या अन्य माल्ट लिकर नहीं सम्मिलित है, आगन्तुकों को उपलब्ध कराया जाता है और उसमें खपत के लिए विक्रय किया जाता हो ।"

4. **केंद्रीय अधिनियम, 2003 का 34 की धारा 12 का संशोधन.**—मूल अधिनियम में धारा 12 की उपधारा (1) में, खंड (ख) में, "." चिह्न के स्थान पर, ";या" चिह्न और शब्द रखे जाएंगे और तत्पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

"(ग) जहां कोई हुक्का बार चलाया जा रहा है ।"

5. **केंद्रीय अधिनियम 2003 का 34 में नई धारा 13क का अंतस्थापन.**—मूल अधिनियम में, धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

हुक्का बार के मामले में जब्त करने की शक्ति.—"13क. राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत, उपनिरीक्षक के पद से अन्यून, यदि किसी पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 4क के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या हो रहा है, वह हुक्का बार के अध्यधीन या उसके अर्थ के रूप में प्रयुक्त किसी सामग्री या वस्तु को जब्त कर सकेगा ।

6. केंद्रीय अधिनियम 2003 का 34 में नई धारा 21क का अंतस्थापन.—मूल अधिनियम में, धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

हुक्का बार को चलाए जाने के लिए दंड .—"21क. जो कोई धारा 4क के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह ऐसे कारावास से, जो तीन वर्ष तक का होगा किन्तु जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा और ऐसे जुर्माने, जो पचास हजार रुपए तक का होगा किन्तु जो बीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, से दंडनीय होगा ।"

7. केंद्रीय अधिनियम 2003 का 34 में नई धारा 27क का अंतस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 27 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

धारा 4क के अधीन अपराध का संज्ञेय होना.— "27क. धारा 4क के अधीन कोई अपराध संज्ञेय होगा ।"

विवेक पुरी,
सचिव, पंजाब सरकार,
विधिक और विधायी मामले विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2023

S.O. 2205(E) .—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Punjab Amendment) Act, 2018 (Punjab Act No. 18 of 2018), as in force in the State of Punjab at the date of the notification, subject to the following modification, namely:-

MODIFICATION

In the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Punjab Amendment) Act, 2018, *in sub-section (1) of section 1, after the figures "2018", the words "as extended to Union territory of Chandigarh" shall be inserted.*

[F. No. U-11020/4/2020-UTL]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy

ANNEXURE

GOVERNMENT OF PUNJAB

DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS, PUNJAB

NOTIFICATION

Dated 18th September, 2018

No. 19Leg./2018. The following Act of the Legislature of the State of Punjab received the assent of the President of India on the 31st day of August, 2018, is hereby published for general information:-

The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Punjab Amendment) Act, 2018. (Punjab Act No. 18 of 2018)

AN

ACT

further to amend the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003, in its application to the State of Punjab.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Punjab Amendment) Act, 2018.

(2) It shall come into force on and with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 3, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

Amendment of section 3 of Central Act 34 of 2003.—*"(ee) "hookah bar" means an establishment where people gather to smoke tobacco from a communal hookah or narghile which is provided individually.*

3. **Insertion of new section 4-A in Central Act 34 of 2003.**—In the principal Act, after section 4, the following section shall be inserted, namely:-

Prohibition of Hookah bar.— "4-A *Notwithstanding anything contained in this Act, no person shall, either on his own or on behalf of any other person, open or run any hookah bar or serve hookah to customers in any place, including the eating house.*

Explanation *The term "eating house" means any place where food or refreshment of any kind, not including spirits, wines, ale, beer or other malt liquors, are provided for casual visitors, and sold for consumption therein."*

4. **Amendment of section 12 of Central Act 34 of 2003.**—In the principal Act, in section 12, in sub-section (1), in clause (b), for the sign".", the sign and word "; or" shall be substituted and thereafter, the following clause shall be added, namely:-

"(c) Where any hookah bar is being run."

5. **Insertion of new section 13-A in Central Act 34 of 2003.**—In the principal Act, after section 13, the following section shall be inserted, namely:-

Power to seize in case of hookah bar.—*"13-A. If any police officer, not below the rank of a Sub-Inspector, authorized by the State Government, has reason to believe that the provisions of section 4-A have been, or are being, contravened, he may seize any material or article used as a subject or means of hookah bar."*

6. **Insertion of new section 21-A in Central Act 34 of 2003.**—In the principal Act, after section 21, the following section shall be inserted, namely:-

Punishment forrunning hookah bar.— "21-A. *Whoever contravenes the provisions of section 4-A shall be punishable with imprisonment which may extend to three years but which shall not be less than one year and with fine which may extend to fifty thousand rupees but which shall not be less than twenty thousand rupees."*

7. **Insertion of new section 27-A in Central Act 34 of 2003.**—In the principal Act, after section 27, the following section shall be inserted, namely:-

Offence under section 4-A to be Cognizable.—"27-A *An offence under section 4-A shall be cognizable"*

VIVEK PURI,

Secretary to Government of Punjab,

Department of Legal and Legislative Affairs.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.